JITENDRA MOHAN JAIN
ADVOCATE
22-Ka-2, Jyoti Nagar, JAIPUR-3020 05
Ph.: 0141-2742908 Mobile : 98280 17429

Ref :

Date: 03.04.2018

LEGAL TITLE SEARCH REPORT

This is to certify that a search has been conducted by me in the office of Sub-Registrar, Sanganer for a period from 2017 to 03.04.2018 of the property land having Khasra No. 210 and 211 admeasuring 10026.87 sq. yards situated at Village Ramsinghpura @ Rampura, Tehsil Sanganer, District Jaipur and I have examined all the relevant documents of aforesaid property. The aforesaid property belongs to M/s Aashish Infraprojects L.L.P. is free from all sorts of encumbrances, charges, liabilities of any kind whatsoever and title of owner to the said property is clear, free marketable and chain of title is complete.

(JITENDRA MOHAN JAIN)
ADVOCATE
R-164/1987

Detail of property

Land having Khasra No. 210 and 211 admeasuring 10026.87 sq. yards situated at Village Ramsinghpura @ Rampura, Tehsil Sanganer, District Jaipur . The aforeaid land was belongs to Khatedars Shri Ramnarain S/o Shri Shyokaran, Ramkaran S/o Shri Mohru, Mohan Lal, Pradeep Kumar Sons of Shri Radheyshyam, Smt. Rama Devi W/o Shri Radheyshyam, Ram Lal, Gopal Lal, Shankar Lal sons of Shri Laxmi Narain . The aforesaid Khatedars applied for conversion of land under section 90 (B) L.R. Act and Jaipur Developement Authority passed an order on the basis of title documents and coverted the land under section 90(B) of L.R. Act vide judgement dated 23.07.2009. As per Judgement the mutation of land opened in the name of J.D.A. Jaipur. Thereafter aforesaid Khatedars applied for single patta under Mukhyamantri Jan Aawas Yojana-2015 of 10026.87 sq. yards land and Jaipur Developement Authority issued single patta vilekh in favour of Shri Ramnarain S/o Shri Shyokaran, Ramkaran S/o Shri Mohru, Mohan Lal, Pradeep Kumar Sons of Shri Radheyshyam, Smt. Rama Devi W/o Shri Radheyshyam, Ram Lal, Gopal Lal, Shankar Lal sons of Shri Laxmi Narain on 25.09.2017 which has been registered in the office of Sub-Registrar Sanganer on 26.09.2017. Thereafter Shri Ramnarain S/o Shri Shyokaran, Ramkaran S/o Shri Mohru, Mohan Lal, Pradeep Kumar Sons of Shri Radheyshyam, Smt. Rama Devi W/o Shri Radheyshyam, Ram Lal, Gopal Lal, Shankar Lal sons of Shri Laxmi Narain sold the aforesaid land to M/s Aashish Infraprojects L.L.P. through registered Sale deed on 10.11.2017 which has been registered in the office of Sub-Registrar Jaipur-VII on 10.11.2017 in Book No. I, Vol. No. 436 page No. 103 at Sr. No. 201703021108796. Thereahter M/s Aashish Infraprojects L.L.P applied for name transfer in the J.D.A. records and J.D.A. transferred the name vide letter dt. 21.11.2017.

(JITENDRA MOHAN JAIN)
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Base Certificate No.	:	IN-RJ15815226889234P
Certificate No.	:	**IN-RJ15815514859926P**
Certificate Issued Date	:	22-Sep-2017 03:24 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ RAMBAGH/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL0124769078381106P
Purchased by	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Description of Document	:	Article 33(vii) Lease/Sale deed by Govt., ULBs or Govt. Enterprises of its own land (Male)
Property Description	:	KHASRA NO.210,211 RAMSINGPURA URF RAMPURA JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA
Second Party	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Stamp Duty Payable	:	50 (Fifty only)
Surcharge for Infrastructure Development	:	10 (Ten only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow	:	10 (Ten only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	70 (Seventy only)

निजी खातेदारी की योजना स्थित
ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के
खसरा नम्बर 210, 211 में से क्षेत्रफल 10026.87 वर्ग गज का मुख्यमंत्री
जन आवास योजना 2015 के तहत आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा
के लिए लीजडीड हेतु 140500+50/–
के स्टाम्प संलग्न है।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

उपायुक्त (जोन-8)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

UP 0003769753

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ15815226889234P
Certificate Issued Date	:	22-Sep-2017 03:21 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ RAMBAGH/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL01247670026925 74P
Purchased by	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Description of Document	:	Article 33(vii) Lease/Sale deed by Govt., ULBs or Govt. Enterprises of its own land (Male)
Property Description	:	KHASRA NO.210,211 RAMSINGPURA URF RAMPURA JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA
Second Party	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	:	RAMNARAYAN RAMKARAN MOHAN LAL AND OTHERS
Stamp Duty Payable	:	1,40,500 (One Lakh Forty Thousand Five Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development	:	14,050 (Fourteen Thousand And Fifty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow	:	14,050 (Fourteen Thousand And Fifty only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,68,600 (One Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred only)

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम

निजी खातेदारी की योजना स्थित
ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के
खसरा नम्बर 210, 211 में से क्षेत्रफल 10026.87 वर्ग गज का मुख्यमंत्री
जन आवास योजना 2015 के तहत आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा
के लिए लीजडीड हेतु 140500+50/–
के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त (जोन-8)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

UP 0003769752

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(शहरी जमाबन्दी के आधार पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3–ए के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का एकल पट्टा विलेख)

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन–3–ए, के अन्तर्गत आज दिनांक 25/09/2017 को इस इकरारनामें के तहत आवंटित/विक्रय–पत्र संख्या 218 सन् को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर संबोधित किया गया है। **श्री रामनारायण पुत्र श्री श्योकरण, रामकरण पुत्र श्री मोहरू, मोहनलाल, प्रदीप कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, श्रीमती रामा देवी पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम, रामलाल, गोपाल लाल, शंकरलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, व्यवसाय कृषि जाति जाट निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर है जो योजना निजी खातेदारी जिनके स्वामित्व की ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (राज.) के खसरा/भूखण्ड संख्या 210, 211 भूमि है** (जिनको कि इसके पश्चात् पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत् में जहां की कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया हैं। इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इनके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:–

1. इस पट्टा विलखे द्वारा पट्टेदार के पक्ष में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत कमजोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु आवासीय फ्लैट बनाने के लिए कुल भूखण्ड में से आवासीय.......... .... का आवंटन/नियमन किया जाता है।

2. इस पट्टा विलेख में वर्णित कुल भूमि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत समर्पण के पश्चात् प्राधिकरण के हक में दर्ज होने के उपरान्त मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रोविजन–3–ए में निर्धारित शर्तो के तहत कमजोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु परियोजना का स्वामित्व पट्टेदार का होगा।

3. यह कि निजी खातेदार योजना जिसकी सीमाओं एवं क्षेत्रफल का वितरण संलग्न साईट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों वैध शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार उपयोग उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा।

4. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

'जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

Scanned by CamScanner

5. इस भूखण्ड के पट्टेदार उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1 पर वर्णित क्षेत्रफल का अकृषि प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमन/आवंटन दर के आधार पर कुल राशि 702244/–रूपये शब्दों में सात लाख दो हजार दो सौ चबालिस रूपये देय होती है, जिसकी शत् प्रतिशत छूट मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत दी गई है। किन्तु उक्त भूमि पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी, जो कि उस क्षेत्र की आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानते हुए इसका 2.5 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल पर प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष देय है (यथा लागू) शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढ़ोतरी की जायेगी परन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी प्रचलित आदेशों के तहत आठ वर्षीय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा करने पर भविष्य में शहरी जमाबन्दी देय नहीं होगी। उपरोक्तानुसार एक मुश्त **लीज राशि चालान नं. 561153 दिनांक : 20.09.2017 से राशि 561796/–रूपये जमा है।**

6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन का या उन दोनों के किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो, राजस्थान नगर सुधार (नगरीय निष्पादन) नियम 1974 के अंतर्गत स्थापित शर्तो की पूर्ण पालना की जावेंगी। यदि किसी शर्त या शर्तो का उल्लघंन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

7. योजना का आंतरिक विकास का उत्तरादायित्व पट्टेदार का होगा।

8. भूखण्ड की लीजडीड का अपने व्यय पर 30 दिवस में नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

9. निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग भवन के मानचित्र को मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 तथा भवन विनियम 2010 में निर्धारित मापदण्डों के तहत स्वीकृत करवाया जाना होगा।

10. भवन निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 एवं तत्पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश/संशोधन के प्रावधानों के तहत करना होगा।

11. विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर निर्मित कमजोर तथा अल्प आय वर्ग की आवासीय निकायों का आवंटन विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 द्वारा निर्धारित आय के मानदण्ड पूर्ण करने वाले वर्ग को किया जा सकेंगा। विकासकर्ता द्वारा सफल आवंटियों की सूची प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12. पट्टेदार के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह पट्टा जारी किया जा रहा है। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय जिम्मेदार नहीं होगा।

उपायुक्त (जोन–8)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(कृ.प.उ.)

'जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

Scanned by CamScanner

13. पट्टेदार द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015, उपविभाजन एवं पुनर्गठन नियम 1975, भवन विनियम 2010, उपनियमों, राज्य सरकार/प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जावेगी।

14. पट्टेदार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 एवं तत्पश्चात् समय–समय विभिन्न परिपत्रों/आदेशों/दिशा निर्देशों के तहत जारी संशोधन, प्रावधानों एवं शर्तों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अगर अन्य कोई राशि बनती है तो आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार अदा करनी होगी।

16. यह पट्टा पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाता है, भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि पट्टेदार द्वारा तथ्यों को छुपा कर या फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवंटन पत्र जारी करवाया गया है तो यह आवंटन पत्र एवं इसके परिपेक्ष्य में जारी किया गया पट्टा विलेख स्वतः निरस्त माना जावेगा।

17. पट्टेदार कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत निर्मित किये जाने वाले आवासों हेतु बैंक, विकासकर्ता, लाभार्थी एवं प्राधिकरण के मध्य निष्पादित होने वाली "एस्को एग्रीमेंट" को हस्ताक्षरित करने हेतु बाध्य होगा।

18. पट्टेदार मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत कमजोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासों को समयबद्ध कार्यक्रम में गुणवता हेतु निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण करवायेगा। यदि समयबद्धसीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो पट्टेदार पर निर्धारित शास्ति भी लगाई जा सकेंगी। यदि पट्टेदार को शास्ति उपरान्त उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त समय–सीमा में भी कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा शेष कार्य पूरा करवाया जावेगा तथा पट्टेदार को देय समस्त परिलाभों को निरस्त किया जा सकेंगा। (इस संबंध में आवंटी से 100/–रूपये के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अण्डरटेकिंग पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।)

19. उपरोक्त शर्तो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन किये जाने पर उक्त आवंटन/लीजडीड स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

20. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समस्त आवासों पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।

21. भूखण्ड की लीजडीड एवं पंजीयन पर आने वाली समस्त लागत एवं व्यय प्रभार पट्टेदार द्वारा नियमानुसार देय होंगें।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

'जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

नोटः— इस एकल पट्टा खसरा नं 210, 211 में से क्षेत्रफल 10026.87 वर्ग गज ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील—सांगानेर, जिला—जयपुर (राज.) की पंजीकृत मूल्य राशि रू. 2808976/—होती है। अतएव स्टाम्प रू. 140500+50 के स्टाम्प संख्या—0003769753 एवं .... के कुल संख्या—2 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है। 0003769752

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2017 माह सितम्बर के 25 वे दिन
श्री डा. सत्य प्रकाश कस्वां
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन--8, जयपुर
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये

जयपुर विकास प्राधिकरण—प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर)

एवं

आज ....सन् 2017 के माह सितम्बर
के 25 वें दिन का निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री रामनारायण पुत्र श्री श्योकरण, रामकरण पुत्र श्री मोहरू, मोहनलाल, प्रदीप कुमार पुत्र श्री राधेश्याम, श्रीमती रामा देवी पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम, रामलाल, गोपाल लाल, शंकरलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण,

लीजधारक द्वारा कार्यालय जोन 8 में हस्ताक्षर किये गये।

रामनारायण रामकरण मोहन लाल
प्रदीप चौधरी
रामलाल
गोपाललाल
नि. रामा देवी
शंकरलाल

लीजधारक—द्वितीय पक्ष
(पट्टेदार के हस्ताक्षर)

साक्षीः—

(1) नाम — जगदीश प्रसाद चौधरी
पिता का नाम — रामनारायण चौधरी
व्यवसाय— व्यापार
निवास स्थान— ग्राम - रामपुरा त. सांगानेर जि. जयपुर

जगदीश चौधरी
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम — सुनील
पिता का नाम — गोपाल लाल
व्यवसाय— व्यापार
निवास स्थान— 63, खालसा की ढाणी रामसिंहपुरा रामपुरा जहाज - जयपुर

सुनील चौधरी
साक्षी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

SUB-REGISTRAR SANGANER-I, JAIPUR

Presentation Endorsement

आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2017 को 11:13 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAM NARAYAN पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHEO KARAN
उम्र 53 वर्ष, जाति JAT , व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA,
Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020,
District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

रामनारायण
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
SANGANER-I

201701024006423
Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702024006955
दिनांक	26-09-2017
पंजीयन शुल्क ₹	28090
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	140500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	28100
कुल योग	196990

उप पंजीयक, SANGANER-I

201701024006423
Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री RAM NARAYAN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHEO KARAN , व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	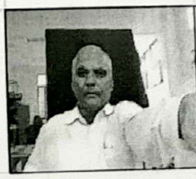		Executant Age : 53 Signature : रामनारायण

Scanned by CamScanner

उप-पंजीयक सांगानेर-I जयपुर
SUB-REGISTRAR SANGANER-I, JAIPUR

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RAMKARAN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHARU , व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	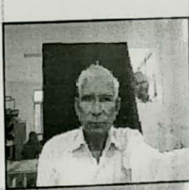		Executant Age : 58 Signature : रामकरण
3	श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN LAL , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RADHEY SHYAM, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 28 Signature : मोहन लाल
4	श्री/श्रीमती/सुश्री PRADEEP KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RADHEY SHYAM, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 26 Signature : प्रदीप चौधरी
5	श्री/श्रीमती/सुश्री RAMA DEVI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RADHEY SHYAM, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 49 Signature : (thumb impression)
6	श्री/श्रीमती/सुश्री RAM LAL , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAXMI NARAYAN, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN		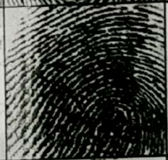	Executant Age : 51 Signature : रामलाल
7	श्री/श्रीमती/सुश्री GOPAL LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAXMI NARAYAN, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 54 Signature : गोपाललाल
8	श्री/श्रीमती/सुश्री SHANKAR LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAXMI NARAYAN, व्यवसाय Farmerजाति JAT House No.:0, Colony: RAMSINGHPURA URF RAMPURA, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN		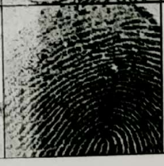	Executant Age : 40 Signature : शंकरलाल

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 2808976/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 2808976/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 26/09/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1055 में
पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 201703024105713 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3817 के
पृष्ठ संख्या 89 से 104 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, SANGANER-I

201701024006423

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

Scanned by CamScanner

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JAGDESH PRASAD COUDHARY, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMNARYAN CHOUDHARY जाति JAT Age: 45 Add: House No.:0, Colony: RAMPURA SANGANER, Area: SANGANER JAIPUR RAJ, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201701024006423

उप पंजीयक, SANGANER-I

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

Scanned by CamScanner

GROUP HOUSING PLOT UNDER CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA - 2015

SITE PLAN OF Kha. No. 210 & 211 AT Vill- Ramsinghpura Urf Rampura Teh.- Sanganer, Jaipur

TOTAL LAND AREA - 10183.28 SQYDS

GROUP HOUSING PLOT AREA - 10026.87 SQYDS

ROAD SURRENDER 80' AREA - 156.41 SQYDS

NOTE :- BUILDING CONSTRUCTION PARAMETERS AS PER PREVAILING BYELAWS AND PARAMETERS MENTIONED IN CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA - 2015

Scale:-1" = 100'

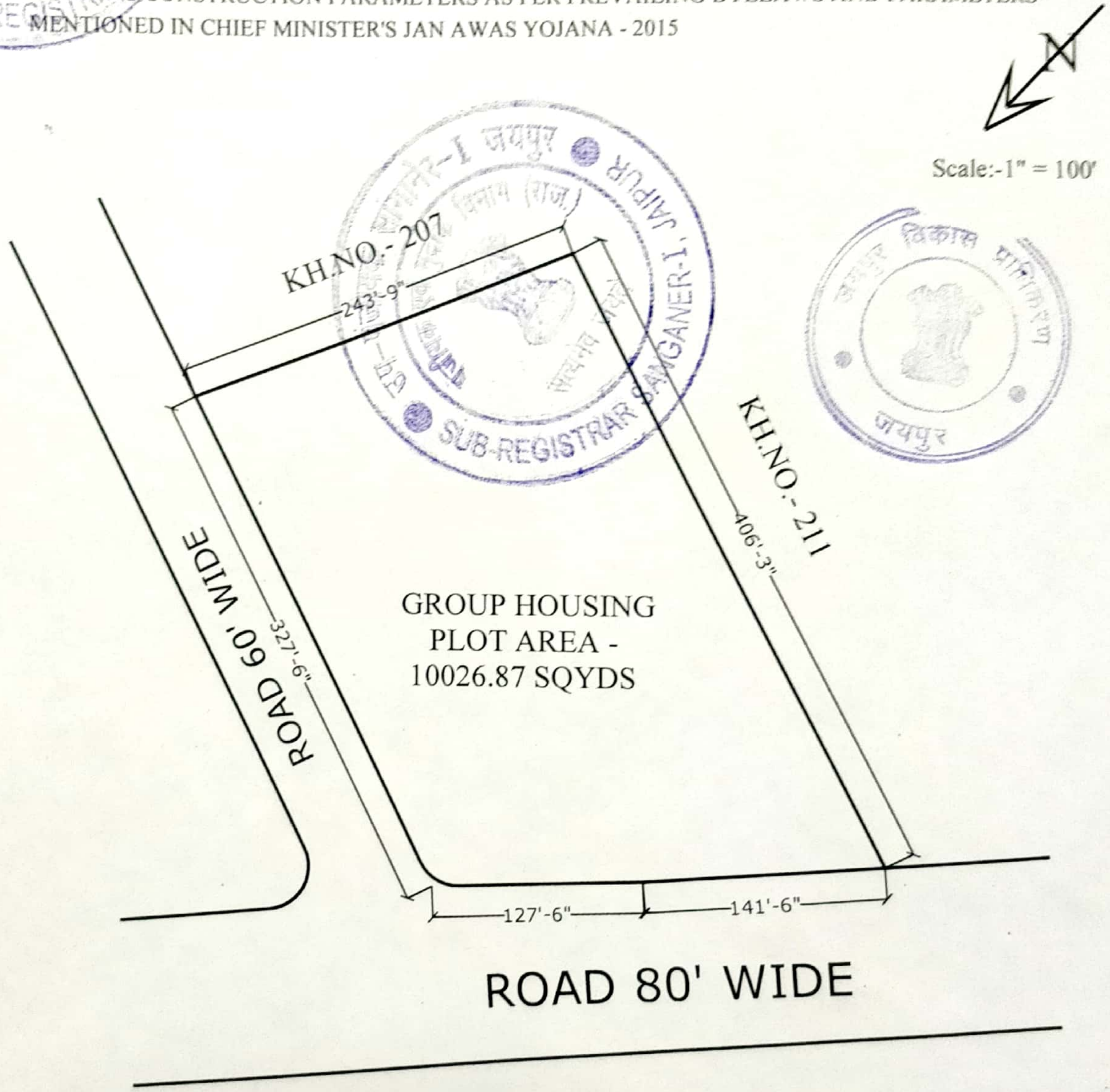

SUB-REGISTRAR SANGANER-I, JAIPUR

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

Site Eng (Zone- 8)

TPA/ATP (Zone- 8)

DC (Zone- 8)

उपायुक्त (जोन-8) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 26/09/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1055 में
पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 201703024105713 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3817 के
पृष्ठ संख्या 89 से 104 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, SANGANER-I

201701024006423

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

SUB-REGISTRAR SANGANER-I, JAIPUR
उप-पंजीयक सांगानेर-I जयपुर

Scanned by CamScanner